न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :—अपूर्वा परवाल आर.ए.एस
प्रकरण संख्या :— 44/2020

वादीगण :—
समस्त ग्रामवासी आंगणवा द्वारा :—
1 कलाराम (उम्र :— 64 वर्ष) पुत्र श्री तेजाराम
2 सायरराम (उम्र :— 57 वर्ष) पुत्र श्री हीराराम
3 उम्मेदराम (उम्र :— 45 वर्ष) पुत्र श्री लादूराम
4 घेवरराम (उम्र :— 52 वर्ष) पुत्र श्री मेघाराम
4/1 महेन्द्र (उम्र :— 21 वर्ष) पुत्र श्री घेवरराम
वादी संख्या 1 से 4/1 सभी जाति जाट
5 दुर्गाराम (उम्र 62 वर्ष) पुत्र श्री गणेश राम, जाति, जाति :—जटिया सभी वादीगण निवासी :— ग्राम :— आंगवणा, तहसील व जिला जोधपुर (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :—
1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जोधपुर।
2 जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
3 रात्रि पंवार पत्नी श्री गणपत सिंह, जाति :— पंवार (माली), निवासी :— मकान नम्बर :— 429, द्वितीय पोलो, जोधपुर।
4 मैसर्स गणपतसिंह एण्ड कंपनी, जोधपुर जरिये डायरेक्टर, पता:— मकान नम्बर :— 429, द्वितीय पोलो, जोधपुर।
5 चन्द्रदेव पंवार पुत्र श्री गणपतसिंह, जाति :— पंवार (माली), निवासी :— मकान नम्बर :— 429, द्वितीय पोलो, जोधपुर।
6 किशनलाल पुत्र काशीराम, जाति :— धूत (माहेश्वरी), मकान नम्बर :— 18-B, "श्रीराम भवन", द्वितीय पोलो, जोधपुर।
7 मैसर्स एयरोटैक्स होर्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, जरिये निर्देशक प्रकाश शाह पुत्र श्री जसवन्तलाल शाह, एन. आर. हाउस आश्रम रोड, अहमदाबाद
8 अंकित पुत्र श्री उज्जवल, जाति :— जैन (राठौड़) निवासी :— आर.के. कॉलोनी, भीलवाड़ा (राजस्थान), पिन—कोड—311802
9 कुन्दनमल पुत्र श्री कपूरचन्द, जाति :— जैन (बागरेचा), निवासी— कल्याण रोड, अशोक नगर, भिवण्डी, जिला :— ठाणे (महाराष्ट्र)—421308
10 मीतेश पुत्र श्री उज्जवल, जाति :— जैन, जाति— जैन (राठौड़), निवासी :— आर.के. कॉलोनी, भीलवाड़ा (राजस्थान), पिन—कोड—311802
11 जयेश पुत्र श्री कुन्दनमल, जाति :— जैन (बागरेचा), निवासी— कल्याण रोड, अशोक नगर, भिवण्डी, जिला :— ठाणे (महाराष्ट्र)—421308
12 मनीष झंवर Huf कर्ता मनीष झंवर पुत्र श्री जुगल माहेश्वरी, निवासी— 96, "श्रीराम सदन", गणगौर गार्डन के पास, नेहरू पार्क, जोधपुर।
13 दिनेश झंवर Huf कर्ता दिनेश झंवर पुत्र श्री जुगल, जाति :— झंवर (माहेश्वरी), निवासी :— 96, "श्रीराम सदन", गणगौर गार्डन के पास, नेहरू पार्क, जोधपुर।
14 श्रीमती शिवकन्या, पत्नी श्री रामनारायण धूत (माहेश्वरी), B-8/9, "निम्बेड़ा हाउस", मानजी का हत्था, जोधपुर।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अस्थायी स्थायी निषेधाज्ञा याचिका

—: आदेश :—

दिनांक 08/10/21

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) सत्यमेव जयते

Aparwal

उपस्थिति –

वादी की ओर से अधिवक्ता डॉ सत्यदेव राजपुरोहित – अनुपस्थित

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री कमलेश राठौड़ अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से सरकारी पैरोकार व प्रतिवादी सं. 3 से 14 की ओर से अधिवक्ता श्री दिवाकर शर्मा

(प्रार्थी) वादी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अस्थायी स्थायी निषेधाज्ञा याचिका का प्रस्तुत किया है जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है :– भू–राजस्व अभिलेखों में ग्राम :– आंगवणा, तहसील व जिला जोधपुर की खसरा संख्या 75 (रकबा 106 बीघा, 7 बिस्वा, किस्म :– बारानी चतुर्थ) की भूमि प्रारम्भ से ही बतौर सरकारी भूमि के दर्ज रही है। ग्राम– आंगणवा के खसरा संख्या 75 की उक्त भूमि पर ही विभिन्न जाति व धर्मों के लोगों के श्मशान (10 बीघा मे) बने हुये है और उक्त भूमि पर गवाई नाडी खुदी हुई है, जलग्रहण क्षेत्र भी यही भूमि है तथा इस भूमि पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय, आंगणवा (5 बीघा मे) राजकीय अन्ध विद्यालय, आंगणवा (5,000 वर्गगज लगभग 1.5 बीघा मे), सरकारी ट्यूबवैल बना हुआ है, जोधपुर विकास प्राधिकरण (पूर्व नाम नगर सुधार न्यास, जोधपुर) के द्वारा (लगभग 35 बीघा) सरकारी आवास व कॉलोनी कटी हुई है, नागौर बाईपास उसके लिये छोडी गई भूमि मे लगभग 30 बीघा भूमि मे ग्रामीणों के कब्जे में है, गांव मवेशी के चरने ओर खडे होने की भी जगह है। राजकीय अन्ध विद्यालय, आंगणवा के आगे तथा राजकीय प्राथमिक विद्यालय, आगणवा व श्मशान के पास के इसी खसरे की खाली मैदान के रूप मे पन्द्रह बीघा भूमि (वादग्रस्त भूमि) के तौर पर संबोधित किया गया है, जिस पर पैतीस वर्षों से भी अधिक समय से, आज दिनांक तक, सभी ग्रामवासी आंगणवा का ही निर्बाध रूप से, हर प्रकार से अनवरत कब्जा है। पैतीस वर्षों से भी अधिक समय से आज दिनांक तक वादग्रस्त भूमि केवल आंगणवा गांव के निवासियों के सार्वजनिक उपभोग व उपयोग में ही ली जाती है, सम्पूर्ण गांव आगणवा के बच्चों के खेल–मैदान के रूप मे भी काम मे ली जा रही है। विधि के प्रावधानों के तहत, विधिक रूप से, खसरा संख्या 75 की सम्पूर्ण भूमि की लेषमात्र भूमि पर भी वर्तमान खातेदार (प्रतिवादीगण संख्या 3 से 14 तक के) अथवा पूर्वाधिकारियों व उत्तराधिकारियों की भी खातेदारी ही दर्ज नही हुई और ना ही इनका किसी भी प्रकार से कब्जा ही रहा है। इन तथ्यों के समर्थन में प्रार्थीगण द्वारा कथन किया गया कि ग्राम घडाव तहसील व जिला जोधपुर की खतौनी संख्या 51 मे ग्राम समाज द्वारा चराई अथवा सामान्य प्रयोजनार्थ रखी गयी भूमि अथवा सामलात भूमि के तौर पर दर्ज खसरों में से खसरा संख्या 17 रकबा 199 बीघा 05 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन मगरा के तौर पर दर्ज है। जिस संबंध मे निजी व्यक्ति के नाम से नामान्तकरा दर्शाया गया है जिस नोट के नीचे किसी के हस्ताक्षर नही है। खसरा नम्बर 17 रकबा 42 बीघा 05 बिस्वा मय अन्य खसरों की भूमियों को आदेश संख्या 4930 दिनांक 6.12.69 के द्वारा गोचर घोषित किया गयी। उक्त वर्णित आदेश का उल्लेख किया गया है वह आदेश किस न्यायालय अथवा अधिकारी के है, इसका भी उल्लेख जमाबन्दी में नही है। जमाबन्दी के साथ ऐसे किसी आदेश की प्रति भी अभिलेख में विद्यमान नहीं है। खसरा संख्या 17 रकबा 199 बीघा 05 बिस्वा के संबंध मे ग्राम घडाव तहसील व जिला जोधपुर के नामान्तरकरण संख्या 24 के कॉलम संख्या 3 से 6 मे गैर मुमकिन मगरा मे से 157 गैर मुमकिन मगरा बजरिये आदेश संख्या 683/ 29.4.1969 में से तीर का निशान लगाकर कॉलम संख्या 7 से 10 में पृथक हस्तलिपि के किस्म बदली हुई उप–जिलाधीश जोधपुर अंकित करते हुए नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश तहसीलदार जोधपुर द्वारा पारित किया गया। इसी प्रकार नामान्तरकरण संख्या 50 में उल्लेखित 107 बीघा भूमि का बेचान छह व्यक्तियों को जरिये दर्ज खातेदार व्यक्तियों के द्वारा अपनी भूमि का विक्रय कर दिया जिसके आधार पर नामान्तरकरण 51 के जरिये अशोक कुमार द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्स किशन लाल पुत्र कांशीराम को बेचान कर दिया गया। खसरा संख्या 17 मीन, की भूमि रकबा 107 बीघा भूमि जोधपुर शहर के नजदीक होने से भू–माफियाओं द्वारा उक्त भूमि को राजस्व अधिकारियों से मिलावट कर राजस्व अभिलेखों मे कूटरचना करते हुए गैर मुमकिन मगरा की भूमि को बरानी चतुर्थ मे तब्दील करवाया और उसके पश्चात् सहायक कलक्टर के न्यायालय मे दिनाक 28.12.1989 को लक्ष्मण सिंह सहित कुल सात व्यक्तियो ने प्रार्थना पत्र बाबत् खातेदारी भूमि के विनिमय का पेश किया, जिस प्रार्थना पत्र पर छः व्यक्तियों के ही हस्ताक्षर है। ऐसी विनिमय विधी अनुसार उचित नहीं था। राजस्व ग्राम घडाव तहसील जोधपुर के खसरा संख्या 17 रकबा 107 बीघा में कई वर्षों से कोई काश्त नही हो पा रही है, इसलिए इसके बदले ग्राम आंगणवा तहसील

कलक्टर एवं कार्यपालक

मजिस्ट्रेट (FT) जोधपुर

जोधपुर के खसरा संख्या 75 रकबा 106 बीघा 11 बिस्वा भूमि उनको विनिमय में दे दी जावे। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ राजस्व ग्राम घडाव के खसरा संख्या 17 की खसरा गिरदावरी सम्वत् 2041 से 2048 प्रस्तुत की गयी जिसमें उक्त भूमि को पड़त दर्शाया गया है तथा इसके बदले राजस्व ग्राम आंगणवा के खसरा संख्या 75 रकबा 106 बीघा 11 बिस्वा किस्म बारानी चतुर्थ की सिवायचक भूमि विनिमय में चाही गयी, जबकि ऐसा विनिमय विधि के अनुसार हो ही नहीं सकता था, क्योंकि विनिमय के लिये दोनों ही पक्षकारों का काश्तकार होना आवश्यक है। राजस्व ग्राम आंगणवा के खसरा संख्या 75 व 75/3 मीन, रकबा 90 बीघा भूमि पर भी किसी भी का खातेदार का आज दिन तक कब्जा नहीं रहा। ऐसा विनिमय आदेश प्रारम्भ से ही प्रभाव शून्य है। दिनांक 4.6.1990 को ग्रामवासी आंगणवा द्वारा जिला कलक्टर, जोधपुर के यहां जोधपुर के भूमि तस्करों व सरकारी अधिकारियों से मिलकर ग्राम आंगणवा की सरकारी भूमि हड़पी जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें दिनांक 31.5.1990 को भी जिलाधीश जोधपुर को ज्ञापन दिया गया तथा स्पष्ट किया गया कि खसरा नम्बर 75 भूमि का कृषि उपयोग नहीं है खातेदारान भूमि तस्कर है। दिनांक 5.6.90 उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर, जोधपुर के आदेश दिनांक 31.5.90 व दिनांक 4.6.90 के प्रसंग में ग्राम आंगणवा के खसरा संख्या 75 के एक्सचेंज के सम्बन्ध में कुछ ग्रामवासियों की आपत्ति के बाबत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके आधार पर जिला कलक्टर द्वारा खसरा संख्या 75 की 90 बीघा भूमि की हद तक विनिमय को निरस्त कर दिया। विनिमय आदेश दिनांक 7.6.1990 के विरुद्ध केवल राज्य सरकार को पक्षकार बनाते हुए अपील प्रस्तुत की गयी जो राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा दिनांक 12.10.1992 को स्वीकार की गई। जिसकी पालना में राजस्व रिकॉर्ड में तब्दीली नहीं की गयी। जिला कलक्टर जोधपुर द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक/राजस्व/आबादी/नदी/94/5/5139, दिनांक 8.9.94 के द्वारा अन्य ग्राम की भूमि के अलावा ग्राम आंगणवा के अन्य खसरों की भूमि सहित खसरा संख्या 75 रकबा 90 बीघा 11 बिस्वा किस्म बारानी चतुर्थ को भी नगर सुधार न्यास, जोधपुर को अल्प आय वर्ग आदि हेतु आवासीय योजनाओं के तहत आबादी विस्तार हेतु आरक्षित कर दी गयी। इसके अनुसरण में नगर सुधार न्यास, जोधपुर ने काफी भूमि आवास व भू-खण्डों के रूप में हस्तान्तरित कर दी। श्रीमान कलक्टर के उक्त आदेश के विरुद्ध दिनांक 8.9.1994 को राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के यहां अपील प्रस्तुत की गयी जिसमें बतौर अपीलार्थी केवल गणपतसिंह ने केवल राजस्थान सरकार व नगर सुधार न्यास, जोधपुर को पक्षकार बनाते हुए अपील प्रस्तुत की, जिसमें किसी भी अन्य व्यक्ति या खातेदार को पक्षकार ही नहीं बनाया गया। जिसे राजस्व मण्डल द्वारा विधि के प्रावधानों के विरुद्ध स्वीकार कर लिया गया। जिस आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अपील का निस्तारण दिनांक 23.1.2006 को किया गया। राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय की पालना में नामान्तरकरण संख्या 277 के जरिये खसरा नम्बर 75 रकबा 13 बीघा 06 बिस्वा एवं खसरा संख्या 75/3 रकबा 78 बीघा 05 बिस्वा कुल भूमि 91 बीघा 11 बिस्वा बाबत निजी व्यक्तियों के नाम दिनांक 01.05.2006 को खातेदार दर्ज कर दी गयी। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में भी इन्द्राज किया गया। दिनांक 16.6.2006 को नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम आंगणवा, पटवार हल्का सूरपुरा, भू- अभिलेख निरीक्षक हल्का जाजीवाल, तहसील व जिला जोधपुर के नामान्तरकरण संख्या 280 के खसरा संख्या 75 रकबा 13 बीघा 6 बिस्वा बारानी चतुर्थ गैर मुमकिन व खसरा संख्या 75/3 मीन रकबा 76 बीघा 14 बिस्वा किस्म बारानी चतुर्थ गैर मुमकिन कुल रकबा 90 बीघा में के बाबत भी निजी व्यक्तियों के नाम खातेदारी में दर्ज की गई। इसके अलावा भी प्रार्थी द्वारा अपने अभिवचनों में राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी तथा नामान्तरकरण की तब्दीली बाबत् अभिकथन किये गये है। ऐसे दस्तावेजात् के आधार पर भूमि विक्रय योग्य नहीं होने एवं ऐसे तथाकथित विक्रय से क्रेता को कोई हक व अधिकार व्युत्पन्न नहीं होना भी कथन किया गया है। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 द्वारा अन्य खातेदारान की सहमति लिये बिना एवं सीमाज्ञान आदेश के आड़ बेदखल करने व कब्जा प्राप्त करने पर आमादा है। प्रार्थी विगत 35 वर्षों से वादग्रस्त भूमि पर काबिज है। जिस कारण प्रार्थी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाना आवश्यक है। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है। अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा [illegible] मूल वाद अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थीगण के प्रवेश नहीं करने एवं निर्माण कार्य नहीं करने तथा किसी प्रकार का कोई अन्तरण विक्रय आदि निष्पादित नहीं करने, भूमि को रहन अथवा बंधक नहीं रखने के लिए पाबन्द किये जाने तथा नामान्तरकरण संख्या 24 के प्रभाव एवं पालना को स्थगित किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्राथी संख्या 3 से 14 की ओर से जरिये अधिवक्ता उपस्थिति दर्ज करवाकर अप्रार्थी किशनलाल के हस्ताक्षरयुक्त जवाब पेश किया गया, जिसके संक्षेप मे इस प्रकार है :– खसरा संख्या 75 की भूमि सरकारी भूमि नही होकर वक्त सैटलमेन्ट जागीरदारो की थी, जो कभी भी सरकारी भूमि नही रही। खसरा संख्या 75 की भूमि पर विभिन्न जाति धर्मो के श्माशान नही होकर जाति विशेष का शमशान अवश्य है। नाडी एवं जल ग्रहण क्षेत्र तथा प्राथमिक विद्यालय तथा अन्ध विद्यालय खसरा संख्या 75 मे स्थित नही होकर अन्यत्र स्थित है। जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न उद्‌देश्यो से निर्माण कार्य खसरा संख्या 75 की भूमि पर नही होकर अन्य भूमि पर है, जो खसरा संख्या 75/1, 75/2, 75/3 आदि है, जो वर्तमान मे जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम से दर्ज है। वादीगण द्वारा सरकारी हित को लेकर स्वयं के स्वार्थ सिद्धि हेतु यह वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो चलने योग्य नही है। प्रार्थीगण भूमाफियां प्रवृति के लोग है, जो इस प्रकार की न्यायिक कार्यवाही कर सरकारी भूमियो पर कब्जा कर बेचान करते है। विधिक प्रावधानो के विपरीत होने के कारण प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है। वक्त सैटलमेन्ट खसरा संख्या 75 की भूमि जागीरदारो की थी, जो बंजर भूमि के रूप मे दर्ज थी। जागीर रज्यूम्शन एक्ट प्रभाव में आने से खसरा संख्या 75 की भूमि राजस्थान सरकार के अधीनस्थ थी एवं समस्त अधिकार सरकार के पास सुरक्षित थे। वर्तमान खातेदारान को विवादग्रस्त भूमि राजस्थान सरकार के विनिमय आदेश के तहत प्राप्त हुई है, जिस कारण कब्जे के बाबत कोई विवाद शेष नही रह जाता है। वर्तमान खातेदारान द्वारा पंजीबद्ध विक्रय विलेख के जरिये भूमि आई है पूर्व खातेदार की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 17 ग्राम घड़ाव तहसील व जिला जोधपुर मे स्थित थी। जिसे राज्य सरकार द्वारा विनिमय आदेष के जरिये विनिमय किया गया। जागीर रिज्यूम्शन एक्ट के तहत खसरा संख्य 17 की 199 बीघा 5 बिस्वा भूमि राजस्थान सरकार के खाते मे दर्ज की गयी। राज्य हित मे खसरा संख्या 75 की सरकारी भूमि का खसरा संख्या 17 घड़ाव की भूमि के साथ विनिमय किया गया, जिसे ग्रामवासी आंगणवा द्वारा दिनांक 31.5.1990 तथा दिनांक 4.6.1990 को न्यायालय मे तथा ज्ञापन के जरिये चुनौती दी गई। जिसमे उन्हें सफलता नही मिली। खसरा संख्या 17 की 199 बीघा 5 बिस्वा भूमि अन्य प्रयोजनार्थ दर्ज नही होकर राज्य सरकार के खाते मे दर्ज थी, जिस कारण राज्य सरकार को उक्त भूमि बाबत समस्त अधिकार प्राप्त थे। राज्य सरकार द्वारा स्वयं को प्राप्त विधिक शक्तियो के तहत खसरा संख्या 17 ग्राम घड़ाव की 199 बीघा 5 बिस्वा भूमि मे से 156 बीघा भूमि भूतपूर्व जागीरदार श्यामसुन्दर लाल पुत्र किशनलाल की खातेदारी मे आवटन के जरिये दर्ज की गई। सहवन से गैर मुमकिन मगरा दर्ज कर दिया गया किन्तु वास्तव मे किस्म बंजर भूमि थी। वैकल्पिक रूप से राज्य सरकार को किस्म परिवर्तन का भी अधिकार है। नामान्तरकरण संख्या 24 की जानकारी ग्रामवासियो को वर्ष 1990 से है। जिसे अनेक कार्यवाहियो द्वारा ग्रामवासियो की ओर से चुनौतियां दी गई, जिसमे उन्हें आज दिन तक कोई सफलता अर्जित नही हुई, जिस कारण मियाद बाधित रूप से यह दावा प्रस्तुत किया है। नामान्तरकरण संख्या 24 ग्राम घड़ाव का दस्तावेज प्रारम्भ से ही एक शुन्य दस्तावेज नही है क्योंकि नामान्तरकरण संख्या 24 ग्राम घड़ाव श्यामसुन्दर लाल पुत्र किशनलाल को भूतपूर्व जागीरदार होने से अधिकार अन्तरित हुए है। तथा वक्त सैटलमेन्ट से पूर्व खसरा संख्या 17 ग्राम घड़ाव की भूमि पर अधिकार जागीरदारो का ही था इसलिये यह प्रश्न की श्यामसुन्दर लाल पुत्र किशनलाल को जो आवंटन किया गया वह आवंटन गलत है माने जाने योग्य नही है तथा श्यामसुन्दर लाल पुत्र किशनलाल के द्वारा किया गया अन्तरण भी वैध होने से निष्प्रभाव के योग्य नही है। राजस्व रेकॉर्ड मे किसी प्रकार की कोई कूटरचना नही की गई है। कूटरचना संबंधी प्रश्नो का निस्तारण राजस्व न्यायालय द्वारा नही किया जा सकता। राज्य सरकार द्वारा स्वयं की आवश्यकता अनुरूप खसरा संख्या 17 के खातेदारान से विनिमय हेतु प्रस्ताव लिये गये, जिस प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 17.5.1990 को विनिमय आदेश पारित किया गया। पूर्व के वाद को न्यायालय से छुपाते हुए मौजूदा वाद प्रस्तुत किया है, जो इसी आधार पर चलने योग्य नही है। खसरा संख्या 17 ग्राम घड़ाव की भूमि पर लक्ष्मण सिंह वगैरा का वर्ष 1985 से बिना किसी दखलअन्दाजी एवं विरोध के आज दिन तक निरन्तर कब्जा काश्त है। भूमि का मूल्य बढ़ जाने के कारण भूमाफिया प्रवृति के लोगो द्वारा निराधार रूप से चुनौतियां दी जा रही है। लक्ष्मण सिंह वगैरह का खसरा संख्या 75 ग्राम आगणवा की भूमि पर विधिवत रूप से विनिमय किया गया है। कब्जा काश्त के बाबत किसी प्रकार का कोई विवाद शेष नही रह जाता है। विनिमय आदेश को चुनौती दिये जाने के पश्चात् भूमाफियो द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 से 14 के कब्जे काश्त मे निरन्तर दखलअन्दाजी की जा रही है। एवं स्वयं का कब्जा

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (FT), जोधपुर

...करने में असफल होने के कारण मौजूदा वाद प्रस्तुत किया गया है। विनिमय आदेश को ... न्यायालय द्वारा न्यायिक निर्णय के जरिये विधिक मान्यता प्राप्त हो चुकी है, जो अंतिम हो चुका ... कारण न्यायालय हाजा को उक्त आदेश के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। ...वेजों का उल्लेख एवं इस संबंध में अभिवचन भी मूल वाद की विषय वस्तु है ना कि हस्तगत ...ना पत्र की। जिला कलक्टर जोधपुर द्वारा आवश्यक पक्षकारों को संयोजित करते हुए विधिवत रूप ... अपील प्रस्तुत की गई थी जिसका निस्तारण संबंधित न्यायालय द्वारा किया जा चुका है जिस बाबत् ...यालय हाजा के समक्ष मौजूदा प्रार्थना पत्र के जरिये आपत्ति करने का प्रार्थीगण को कोई हक व ...धिकार नहीं है। ग्रामवासियों को पूर्व में प्रस्तुत अपील की शुरू से ही जानकारी रही है किन्तु उनके ... अपील में भाग नहीं लिया गया था। 1990 के विनिमय आदेश को चुनौती देने की विधि द्वारा ...हित समयावधि कई वर्षों पूर्व व्यतीत हो जाने के कारण वादीगण द्वारा प्रस्तुत वर्तमान वाद स्पष्टतः मियाद बाधित होने के कारण निरस्त योग्य है। खसरा संख्या 75 तथा 75/3 के बाबत विधिवत रूप से नामान्तरकरण एवं अन्य राजस्व रेकॉर्ड संधारित किये गये है, जो सही है जिसे चुनौती देने का प्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है। जो राजस्व रेकॉर्ड के अवलोकन मात्र से ही स्पष्ट है। विक्रय विलेख के आधार पर राजस्व रेकॉर्ड में की गयी प्रविष्टियों को चुनौती देने का वादीगण को कोई अधिकार नहीं है। ...नारमल द्वारा रात्रीपंवार के हक में खसरा संख्या 75 रकबा 13 बीघा 6 बिस्वा एवं खसरा संख्या 75/3 रकबा 76 बीघा 14 बिस्वा का बेचान जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख के किया गया था जिसके आधार पर की गई प्रतिष्टियों को भी चुनौती देने का वादीगण को कोई हक व अधिकार नहीं हैं इसी प्रकार अन्य प्रविष्टिया भी पंजीबद्ध विक्रय विलेख के आधार पर राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज की गई है जिसे चुनौती देने का वादीगण को कोई अधिकार नहीं है। राजस्व रेकॉर्ड का संधारण भी माननीय प्रक्रिया के जरिये किया जाता है जिसमें साधारण त्रुटि होना स्वाभाविक है जो पक्षकारान् के हितों पर किसी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते है। पंजीबद्ध दस्तावेजात में वादीगण को राजस्व रेकॉर्ड को चुनौती देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। सीमांकन हेतु आवेदन पत्र में भी अप्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार जोधपुर के समक्ष वादग्रस्त भूमि के चिपते हुए खातेदारों को पक्षकारान् के रूप में संयोजित किया जा चुका था जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की गई है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को उनकी रेकॉर्डेड खातेदारी की भूमि से बेदखल कर कब्जा करने की नियत से मौजूदा वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। सीमांकन के वक्त प्रार्थीगण द्वारा उपद्रव किये जाने पर तहसीलदार द्वारा सुरक्षा बलों के सहयोग से विधिक कार्यवाही को पूर्ण किया गया। प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण संख्या 3 से 14 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है क्योंकि प्रार्थीगण विवादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं है केवल भू –माफिया प्रवृति के लोग है तथा अतिक्रमी की हैसियत से अतिक्रमण करना चाहते है तथा विधि के सुस्थापित सिद्धान्त के अनुसार अप्रार्थीगण संख्या 3 से 14 वर्तमान में विवादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार है इसलिये प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में बनना नहीं पाया जाता है तथा भूमि का कब्जा प्रार्थीगण के पास नहीं होने के कारण अपूर्णीय क्षति होने की कोई सम्भावना नहीं रह जाती है। निषेधाज्ञा जारी करने से अप्रार्थीगण संख्या 3 से 14 के हितों पर विपरीत प्रभाव पडेगा। प्रार्थना पत्र में वर्णित अभिवचनों के आधार पर प्रार्थीगण कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

अप्रार्थीगण संख्या 2 जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पृथक से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है :– जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौके की स्थिति प्रार्थीगण स्वयं सिद्ध करे। ग्राम आंगणवा के खसरा संख्या 75 की भूमि पर कोई श्मशान की भूमि, गवाई नाडी जल ग्रहण क्षेत्र, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय अंध विद्यालय , सरकारी ट्यूबवेल हो तो साबित करे। ग्राम आंगनवा के खसरा संख्या 75 की कुल भूमि पर अल्प आय के नागरिकों की आवासीय कॉलोनी हेतु योजना बनायी गई थी तथा उक्त योजना के अंतर्गत काफी मकानात् बनाये गये जिसमें खाते धारकों द्वारा सीमांकन विवाद हो गया एवं खाते धारकों द्वारा उक्त योजना बाबत माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की गयी थी जो रिट याचिका संख्या 7242/2010 बअनुवान गणपत सिंह बनाम राजस्थान राज्य बनाम अन्य दर्ज हुई, जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया जो मामला आज दिन तक विचाराधीन है। पिछले 35 वर्षों से अधिक समय से वादग्रस्त भूमि पर ना तो कोई ग्रामवासी काबिज है

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (FT), जोधपुर

ही उपयोग में ली जा रही है एव ना ही बच्चो के खेल का मैदान है। विनिमय आदेश की में खातेदारों को कब्जा सुपुर्द किये जाना राजकीय दस्तावेज से सिद्ध है। विनिमय आदेश का रूप से निस्तारण उच्च न्यायालय द्वारा कर दिये जाने के कारण माननीय जिला कलेक्टर द्वारा उक्त विनिमय आदेश अंतिम हो चुका है। अप्रार्थी संख्या 3 से 14 अधिकार से काबिज है। राजस्व प्राधिकारी के समक्ष अपील में ग्रामवासी कतई आवश्यक पक्षकार नहीं थे ना ही उनके द्वारा पत्र प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा कथन किया गया कि उक्त विनिमय आदेश विरुद्ध राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर मे अपील प्रस्तुत की गयी थी जिसमें बतौर रेस्पोडेंट केवल स्थान सरकार जरिये तहसीलदार को पक्षकार बनाया गया था। प्रार्थीगण द्वारा यह आपत्ति करना उक्त अपील मे ग्रामवासी आवश्यक पक्षकार बनाये बिना अपील पोषनीय नहीं हो गलत होने से स्वीकार है। ग्रामवासीगण आंगनवा को किसी प्रकार की अगर आपत्ति होती है तो वह स्वयं उक्त अपील में पक्षकार मुकदमा बनने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते थे परन्तु ग्रामवासीगण आंगनवा द्वारा इस प्रकार का कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था। प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व अप्रार्थी संख्या 2 को किसी प्रकार की कोई घोषणा हेतु धारा 74 जे.डी.ए. एक्ट के तहत विधिक नोटिस प्रेषित करना आज्ञापक है परन्तु प्रार्थीगण ने ना ही धारा 74 जे.डी.ए. एक्ट के तहत नोटिस ही दिया और ना ही किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से उक्त विधिक नोटिस प्रेषित करने की छूट प्राप्त करने की प्रार्थना ही की है इसलिए उक्त प्रार्थना विधिक प्रावधानों से बाधित होने के कारण खारिज होने के योग्य है। उपरोक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 3 से 14 बतौर खातेदार उक्त भूमि पर कानूनन काबिज है। इसके उपरान्त भी 30 वर्ष पश्चात् प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र खातेदारी की घोषणा बाबत प्रस्तुत किया जाना म्याद अवधि से बाधित होने के कारण खारिज होने योग्य है।

अप्रार्थीगण संख्या 1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है :– ग्राम आंगणवा तहसील जोधपुर के खसरा संख्या 75 की भूमि वक्त सेटलमेन्ट से सरकारी भूमि रही है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का पद संख्या 2 का खण्डन करते हुए कथन किया कि ग्राम आंगणवा की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2058 से 2061 के अनुसार खसरा संख्या 75 की भूमि में से 90.00 बीघा अप्रार्थीगण के नाम, 10.00 बीघा गै.मु. श्मशान, 5.00 बीघा रा.प्रा.वि. आंगणवा व 1.11 बीघा नगर सुधार न्यास जोधपुर के नाम दर्ज है। जोधपुर– नागोर बाई पास रोड भी इसी खसरे में से गुजर रही है। अन्ध विद्यालय व नगर सुधार न्यास जोधपुर द्वारा लांच की गई दीनदयाल उपाध्याय नामक योजना भी इसी खसरा की ही भूमि है। नाडी तथा उसका केचमेन्ट एरिया खसरा संख्या 74 मे स्थित है जो वर्तमान मे नगर सुधार न्यास जोधपुर के खाते में दर्ज है। ग्राम घडाव का खसरा संख्या 17 कुल रकबा 199.01 बीघा खातेदारी भूमि थी जिसकी किस्म गै.मु. मगरा थी जो जरिये नामान्तकरण संख्या 24 से स्पष्ट होता है। ग्राम घडाव की जमाबंदी संवम 2061–2064 में खसरा संख्या 17 के कई टुकड़े हो चुके हैं जरिये विभाजन खसरा संख्या 17 खाता संख्या 9 रकबा 10.00 बीघा कुलदीपसिंह पुत्र श्री बागसिंह के नाम दर्ज हुई जिसकी किस्म बी–4 है। जरिये नामान्तकरण संख्या 288 से सम्पूर्ण रकबा आई.आई.टी. राजस्थान के नाम दर्ज है। खसरा संख्या 17/1 खाता संख्या 18 रकबा 20.00 बीघा किस्म बी–4 जरिये नामान्तकरण संख्या 290 अवाप्ति से सम्पूर्ण रकबा आई.आई. टी. राजस्थान के नाम दर्ज हुई है। खसरा संख्या 17/4 रकबा 42.01 बीघा जिसमें से नामान्तकरण संख्या 255 से 37.01 बीघा गोचर भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। खसरा संख्या 75 व 75/3 की भूमि वक्त सेटलमेन्ट से सरकारी भूमि रही है। बाद मे यह भूमि नगर सुधार न्यास जोधपुर के नाम दर्ज हुई तथा बाद में ग्राम आंगणवा के नामान्तकरण संख्या 277 दिनांक 1.5. 2006 के द्वारा कुल रकबा 90.00 बीघा भूमि लक्ष्मणसिंह पि. भेरूलाल वगैरह के नाम दर्ज कर दी गई।

प्रार्थी द्वारा अपनी बहस मे निवेदन किया कि ग्राम घडाव खतौनी संख्या 51 अनुसार खसरा संख्या 17 की भूमि गैर मुमकिन मगरा दर्ज है जिस बाबत किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। इसी दस्तावेज में किस्म परिवर्तन के नोट के नीचे किसी के हस्ताक्षर नहीं है और न ही इस सम्बन्ध मे नामान्तरण में किसी आदेश का उल्लेख किया गया है। नामान्तरण संख्या 24 की प्रविष्ठियाँ भी त्रुटिपूर्ण है। एक ही नामान्तरण से किस्म परिवर्तन व आवंटन किया गया है। जो विधि विरूद्ध होने से प्रारम्भत: शून्य है। किस्म परिवर्तन के आदेश 683 व 4930 राजस्व अभिलेखो में उपलब्ध नहीं हैं जिस

कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (FT), जोधपुर

[illegible] एवं नामान्तरण एवम् प्रविष्ठियाँ प्रारम्भतः शून्य व निष्प्रभावी है। इसी नामान्तरण के जरिये 127 [illegible] भूमि श्यामसुन्दर निवासी बंबोर को किस अधिकारी के द्वारा दी गई इसका भी कोई उल्लेख नहीं [illegible] ग्राम घड़ाव जमाबन्दी सम्वत् 2032–35 में भी म्यूटेशन संख्या 24 का इन्द्राज किया गया जो कि [illegible] होने से राजस्व कर्मचारियों द्वारा की गई कुटरचना को छुपाने के लिये पुनः नामान्तरण का [illegible] किया गया। जिला कलक्टर द्वारा विनिमय आदेश को दिनांक 7.6.1990 को निरस्त कर दिया था [illegible] 25.10.1990 को नगर सुधार न्यास द्वारा खसरा संख्या 75 की रकबा 96 बीघा 11 बिस्वा भूमि को [illegible] की गई। गणपतसिंह द्वारा नगर सुधार न्यास के आवंटन आदेश की जो अपील प्रस्तुत की गई [illegible] संदर्भ में राजस्व प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 30.3.2000 द्वारा अपील स्वीकार कर ली गई जिसमें [illegible] प्रस्तुतीकरण में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने के सम्बन्ध में कोई अंकन नहीं किया जिसमें [illegible] विधि में विद्यमान नहीं। प्रतिवादीगण का कब्जा होना सिद्ध नहीं किया गया। वादग्रस्त भूमि बच्चो [illegible] के मैदान में उपयोग की जा रही है। प्रार्थीगण के विक्रय विलेख के पश्चात् कब्जा सुपुर्दगी का [illegible] उल्लेख नहीं होने से विक्रय विलेख शून्य माने जावे। भूमाफियों द्वारा खसरा संख्या 17 की 107 [illegible] भूमि शहरी क्षेत्र के नजदीक होने के कारण कूटरचना कर गैर मुमकिन मगरा को बारानी चतुर्थ में [illegible] कराया गया। खसरा संख्या 17 ग्राम घड़ाव की 107 बीघा भूमि का विनिमय ग्राम आंगणवा की [illegible] संख्या 75 की 106 बीघा 11 बिस्वा भूमि से विधि विरुद्ध रूप से कराया गया। ग्राम आंगणवा की [illegible] संख्या 75 तथा 75/3 मीन रकबा 50 बीघा भूमि पर खातेदारान का आज दिन तक कभी कब्जा [illegible] नहीं रहा न ही कृषि उपयोग रहा. जिस सम्बन्ध में ग्रामवासियो द्वारा जिला कलक्टर महोदय के [illegible] प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुरूप खसरा संख्या [illegible] की 90 बीघा भूमि की हद तक पूर्व हितकारी व खातेदार मृतक गणपत सिंह द्वारा नगर सुधार न्यास [illegible] आवंटन के विरूद्ध बिना आवश्यक पक्षकारो को संयोजित किये अपील प्रस्तुत की गयी जिसे स्वीकार [illegible] गया। जिसके विरूद्ध राज्य सरकार तथा नगर सुधार न्यास द्वारा राजस्व मण्डल के समक्ष अपीलें [illegible] की गई जिसका निस्तारण राजस्व मण्डल द्वारा 23.1.2006 को किया गया। जिसकी पालना में [illegible] नामान्तरकरण संख्या 277 पारित कर कुल 91 बीघा 11 बिस्वा भूमि बाबत निजी व्यक्तियों के नाम बतौर [illegible] खातेदार दर्ज किये गये व जमाबन्दी में भी इन्द्राज किया गया। इसी प्रकार खसरा संख्या 280 के जरिये [illegible] 90 बीघा भूमि के बाबत भी निजी व्यक्ति के नाम खातेदारी दर्ज की गयी जो कूटरचित होने के [illegible] प्रारम्भतः प्रभावशून्य मात्र है। ऐसे दस्तावेजात के आधार पर तथाकथित खातेदार द्वारा न तो भूमि [illegible] की जा सकती थी एवम् न ही क्रेतागण को भी किसी प्रकार के कोई हक व अधिकार प्राप्त हुए। [illegible] अप्रार्थी संख्या 1 के जवाब में प्रार्थी के अभिवचनों को गलत बताया है जिसको खण्डित करते हुए कोई [illegible] नहीं दिया गया जिससे की जवाब का खण्डन नहीं माना जा सकता। अप्रार्थी संख्या 1 के जवाब [illegible] अप्रार्थी संख्या 3 से 14 उक्त भूमि पर काबिज होना बताया है जिसका कोई साक्ष्य नहीं। अप्रार्थी [illegible] संख्या 3 से 14 के जवाब के साथ संलग्न शपथ पत्र वांछित फॉरमेट में नहीं होने से उनका जवाब देखा [illegible] योग्य ही नहीं। अप्रार्थी द्वारा जवाब में अगणवा की खसरा संख्या 75 सरकार के खाते में दर्ज [illegible] नहीं होना बताया है तो उसके पश्चात् विनिमय कैसे हुआ। ग्राम घड़ाव व आंगणवा की विनिमय की हुई [illegible] भूमि कृषि उपयोग हेतु सही नहीं थी जिससे भी विनिमय आदेश प्रश्नगत है। ग्राम आंगणवा की भूमि [illegible] विनिमय होने से कब्जा कैसे प्राप्त किया इसका कोई उल्लेख नहीं। ग्रामवासियो के प्रार्थना पत्र पर [illegible] आदेश निरस्त हुआ परन्तु उनको आवश्यक पक्षकार होने के बाद भी अपील में पक्षकार नहीं बनाया [illegible] प्रार्थीगण को अपील की कोई जानकारी नहीं होने से वो सक्षम पक्षकार नहीं बन पाए। अप्रार्थी [illegible] संख्या 5 से 6 द्वारा अवैध रूप से सीमांकन आदेश प्राप्त कर उक्त आदेश प्राप्त कर उक्त आदेश की [illegible] पुलिस के सहयोग से डरा धमका कर कब्जा करने का प्रयास किया गया जबकि प्रार्थी [illegible] 35 वर्षों से वादग्रस्त भूमि पर काबिज है। प्रथम दृष्टया वाद, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय [illegible] बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा तायफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण के विरूद्ध [illegible] निषेधाज्ञा जारी कर वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थीगण के प्रवेश नहीं करने एवम् निर्माण कार्य नहीं [illegible] किसी प्रकार का कोई अन्तरण विलेख आदि निष्पादित नहीं करने, भूमि को रहन अथवा [illegible] नहीं रखने के लिए पाबन्द किये जाने तथा नामान्तरकरण संख्या 24 के प्रभाव एवम् पालना को [illegible] स्थगित किये जाने का निवेदन किया।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र को ही बहस में निवेदन किया गया।

मजिस्ट्रेट (FT), जयपुर

...र्थी संख्या 3 से 14 द्वारा अपनी मौखिक बहस के समर्थन में लिखित बहस प्रस्तुत कर ...कथन किया कि लक्ष्मणसिंह पुत्र भेरूलाल, मदनसिंह पुत्र आईदानसिंह वगैरा ने अपने प्रतिवेदन दिनांक ... उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम घड़ाव तहसील ... के खसरा संख्या 17 रकबा 107 बीघा किस्म बारानी भूमि काबिल काश्त नहीं है इसलिए ...संख्या 75 ग्राम आंगणवा की भूमि को विनिमय किया जावे जिस पर उपखण्ड अधिकारी जोधपुर ... सार्वजनिक नोटिस ग्रामवासी आंगणवा व ग्राम पंचायत को प्रेषित किया गया जिसमें यह ... दर्ज की गयी कि ग्राम आंगणवा की 75 बीघा की 05 बीघा भूमि सड़क हेतु छोड़ी जावे तथा ...स्कूल भी बनी हुई है इन भूमि को छोड़ करके शेष भूमि का विनिमय किये जाने का निवेदन ... जिस पर जिला कलक्टर जोधपुर द्वारा 17.5.1990 को विधिक प्रक्रिया अनुसार विनिमय आदेश ...किया किन्तु दिनांक 07.06.1990 को लक्ष्मण सिंह वगैरह को सुनवाई का अवसर प्रदान किये ... निरस्त कर दिया गया एवं आदेश की प्रति लक्ष्मण सिंह वगैरह को प्रेषित की गई, जिस पर ... सिंह वगैरह द्वारा सक्षम न्यायालय पर अपील प्रस्तुत की गयी। जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी ... द्वारा दिनांक 12.10.1992 को स्वीकार कर जिला कलक्टर द्वारा विनिमय निरस्ती के आदेश ... 07.06.1990 को निरस्त कर दिया गया, जिस निर्णय के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई कार्यवाही ... भी व्यक्ति अथवा राज्य सरकार द्वारा नहीं की गई। जिला कलक्टर द्वारा खसरा संख्या 75 की ... दिनांक 8.9.1994 को आबादी नियमन हेतु आदेश पारित कर दिया, जिस आदेश के विरूद्ध ... सिंह द्वारा अपील प्रस्तुत की गई जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर द्वारा दिनांक 30.3.2000 ... स्वीकार किया जाकर आदेश दिनांक 8.9.1994 निरस्त किया गया, जिस आदेश के विरूद्ध नगर ... न्यास जोधपुर एवं राज्य सरकार द्वारा अलग–अलग अपीलें माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष ... की गयी। उक्त वर्णित अपीलें राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 23.1.2006 के द्वारा अस्वीकार की गई ... श्रीमान् जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 17.5.1990 के अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में इंद्राजात के ... पारित किये गये। आदेश दिनांक 23.01.2006 के विरूद्ध नगर सुधार न्यास द्वारा एक रिट ... माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो दिनांक 11.09.2007 को निरस्त करते हुए ... पोषणीय नहीं माना, जो दस्तावेजात अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत है। ऐसी स्थिति में विनिमय आदेश ... हो चुका है। विनिमय आदेश के प्रभावशील रहते हुए कलाराम द्वारा प्रस्तुत वाद एवं प्रार्थना पत्र ... के अभाव में पोषणीय नहीं है न ही कलाराम वगैरह किसी रेकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध कोई ...स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार जोधपुर एवं जोधपुर विकास ...प्राधिकरण के विरूद्ध भी घोषणात्मक वाद प्रस्तुत किया है किन्तु धारा 80 दीवानी प्रक्रिया संहिता एवं ... 74 जे.डी.ए एक्ट की पालना नहीं किये जाने के कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मूलवाद विधि द्वारा ...वर्जित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा मूलवाद में खातेदारी अधिकारों की ...घोषणा की मांग की गई है जिस भूमि के संबंध में अप्रार्थी संख्या 3 से 14 के नाम का इंद्राजात ... किया गया है। बेचाननामे के प्रभाव ...पंजीबद्ध विक्रय विलेख के आधार पर नामान्तरकरण पारित करते हुए किया गया है। ... में उनके विरूद्ध जाकर प्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान करने का क्षेत्राधिकारी राजस्व न्यायालय ... नहीं है एवं न ही प्रार्थी द्वारा बेचाननामे को निरस्त किये जाने एवं शून्य घोषित किये जाने बाबत ... कोई अभिवचन वाद अथवा प्रार्थना पत्र में किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार की कोई ...दस्तावेजी साक्ष्य कब्जे के संबंध में प्रस्तुत नहीं की गयी है। अप्रार्थी संख्या 3 से 14 रेकॉर्डेड खातेदार हैं ... जो दस्तावेज के आधार पर काबिल काश्तकार है। प्रथम दृष्टया वाद सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय ...क्षति का बिंदु भी अप्रार्थीगण के पक्ष में है। कब्जे के अभाव में प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई ...निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। अंत में अप्रार्थीगण द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र ... को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा अपने मौखिक एवं लिखित बहस के ...समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये जो इस प्रकार है –

1. 2021 (1) आर.आर.डी. 260
2. 2010 (2) आर.आर.डी. 1392
3. 2009 (2) आर.आर.डी. 1288
4. 2012 (1) आर.आर.डी. 232
5. 2011 (1) आर.आर.डी. 403

आदेश

हमने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज व सम्पूर्ण पत्रावली का अध्ययन किया व विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा अपने वाद में ग्राम आंगणवा तहसील व जिला जोधपुर मे स्थित खसरा नम्बर 75 में राजकीय अन्ध विद्यालय भवन के आगे तथा राजकीय प्राथमिक विद्यालय, आंगणवा व श्मशान के पास के इसी खसरे की मैदान की पन्द्रह बीघा भूमि को वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया है व वादग्रस्त भूमि को वादी की खातेदारी की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया है। जमाबन्दी सम्वत् 2058–2061 ग्राम आंगणवा पटवार क्षेत्र ... तहसील व जिला जोधपुर के खसरा संख्या 75 रकबा 13–06 व खसरा संख्या 75/3 रकबा ... प्रतिवादी संख्या 3 से 14 के नाम दर्ज है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु सर्वप्रथम प्रथम दृष्टया वाद का बिन्दु देखा गया है प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर पैंतीस वर्षों से अधिक का कब्जा होना बताया है परन्तु वादग्रस्त भूमि पर कब्जे सम्बन्धी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया है। प्रार्थी द्वारा ग्राम घड़ाव तहसील व जिला जोधपुर की खतौनी संख्या 51 मे दर्ज खसरा संख्या 17 रकबा 199 बीघा 08 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन मगरा में किस्म परिवर्तन व उसी भूमि से सम्बन्धित नामान्तरण संख्या 24 को विधि विरुद्ध तरीके से दर्ज होने से प्रारम्भतः शून्य बताया गया है। प्रार्थी द्वारा ग्राम घड़ाव के खसरा संख्या 17 के किस्म परिवर्तन के आदेश 683 व 4930 राजस्व अभिलेखों मे उपलब्ध नही होने का व उक्त भूमि में ... सुन्दर पुत्र किशनदास का नाम बतौर खातेदार दर्ज किये जाने का आदेश उपलब्ध नही होना बताया है। इस संबध में कोई टिप्पणी मूलवाद में बाद साक्ष्य की जा सकेगी। मूलवाद में यह भी तय किया जाना है कि उक्त दस्तावेजो की कूटरचना सम्बन्धी जांच का विषय वस्तु क्या विचारण न्यायालय के द्वारा है। प्रार्थी द्वारा अपने वाद में ग्राम घड़ाव की खसरा संख्या 17 रकबा 107 बीघा का ग्राम आंगणवा की खसरा संख्या 75 रकबा 106 बीघा 11 बिस्वा में से 90 बीघा भूमि के जिला कलक्टर जोधपुर के विनिमय आदेश दिनांक 17.05.1990 को विधि विरुद्ध व प्रारम्भतः शून्य बता चुनौती दी गई है। ग्रामवासियो द्वारा ज्ञापन देने के पश्चात् विनिमय आदेश को जिला कलक्टर जोधपुर के आदेश क्रमांक राजस्व/विनिमय/90/2659 दिनांक 07.06.1990 द्वारा निरस्त किया गया। जिसके विरुद्ध लक्ष्मणसिंह व अन्य 6 व्यक्तियों द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी (द्वितीय) जोधपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जो अपील संख्या 15/90 दिनांक 12.10.1992 को स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.6.1990 को निरस्त किया गया। इस प्रकार जिला कलक्टर जोधपुर के खसरा संख्या 75 रकबा 106 बीघा 11 बिस्वा मे से 90 बीघा भूमि का विनिमय आदेश यथावत रहा। प्रार्थीगण द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी (द्वितीय) जोधपुर के आदेश दिनांक 12.10.1992 को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त किये जाने या चुनौती दिये जाने का तथ्य न्यायालय में प्रस्तुत नही किया गया है। प्रार्थी द्वारा यह तर्क कि बिना आवश्यक पक्षकारो का संयोजन कर अपील पेश की गयी परन्तु इस तर्क से अपील आदेश निष्प्रभावी नही माना जा सकता। प्रार्थी द्वारा इस संबध में म्याद अन्दर कोई कार्यवाही नही की गयी। इसके अतिरिक्त विनिमय आदेश दिनांक 17.05.1990 को भी प्रार्थीगण या ग्रामवासियो द्वारा किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नही दिये जाने से उक्त आदेश यथावत रहा। ऐसी स्थिति में न्यायालय को जिला कलक्टर के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार प्राप्त नही। जिला कलक्टर जोधपुर द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक/राजस्व/आबादी/नदी/94/5/6139 दिनांक 8.9.94 द्वारा अन्य ग्राम की भूमि के अलावा ग्राम आंगणवा के अन्य खसरों के साथ खसरा संख्या 75 को भी नगर सुधार न्यास, जोधपुर को आबादी विस्तार हेतु आरक्षित की गई जिसके विरुद्ध ... सिंह द्वारा राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के यहां अपील प्रस्तुत की गई जिसमें निर्णय दिनांक 30.5.2000 के द्वारा अपील स्वीकार कर ली गई। उक्त निर्णय के संबंध में प्रार्थी को पक्षकारों के अभाव ... अन्य विधिक प्रक्रिया पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार प्राप्त नही चूंकि प्रार्थी का उक्त निर्णय से कोई सरोकार नही। श्रीमान जिला कलक्टर के आदेश से भूमि नगर सुधार न्यास को दी गई जिससे ... व अन्य खातेदार प्रभावित हुए जिसमें ग्रामवासियों का कोई हित था तो उनके द्वारा भी न्यायालय में चाराजोई की जानी चाहिए थी। राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 30.5.2000 के विरुद्ध नगर सुधार न्यास व राजस्थान जरिये तहसीलदार जोधपुर द्वारा राजस्व मण्डल राजस्थान में अपील की गई जो दिनांक 23.1.06 के निर्णय से खारिज की गई जिसके विरुद्ध नगर सुधार न्यास द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील की गयी जो कि दिनांक 11.09.2007 एस.बी. सिविल रिट पिटिशन ...

सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट
... जोधपुर

4402/2006 के निर्णय में खारिज की गई। उक्त वर्णित निर्णय दस्तावेजो के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि उच्च न्यायालयों द्वारा भी विनिमय आदेश दिनांक 17.05.1990 को अन्तिम माना गया। राजस्व ...राजस्थान के निर्णय दिनांक 23.1.2006 के तहत नामान्तरकरण संख्या 277 भरा गया जिसमें खसरा संख्या 75 रकबा 13 बीघा 6 बिस्वा व खसरा संख्या 75/3 रकबा 78 बीघा 5 बिस्वा कुल 91 बीघा 11 बिस्वा में निजी खातेदार के नाम भूमि दर्ज हुई। जिसके पश्चात् जमाबन्दी अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंजीबद्ध विक्रय विलेख के आधार पर अप्रार्थी संख्या 3 से 14 का नाम इन्द्राज हुआ। प्रार्थी द्वारा नामान्तरण संख्या 280 व 774 के इन्द्राज में भी कूटरचना होना बताया। परन्तु इसके संबंध में विक्रय विलेख से कोई अन्तर हो ऐसा साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया जिससे कि इन्द्राज में हुई ओवर राइटिंग लिपिकीय त्रुटि प्रतीत होती है। ऐसे में खातेदारान पर इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं डाला जा सकता। इस प्रकार अप्रार्थीगण संख्या 3 से 14 आज दिनांक में ग्राम आंगणवा के खसरा संख्या 75 रकबा 13 बीघा 6 बिस्वा व खसरा संख्या 75/3 रकबा 78 बीघा 5 बिस्वा के रिकॉर्डेड खातेदार हुए व उसके विरूद्ध प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि का उपयोग खेल के मैदान के रूप में किये जाने का कथन मात्र ही प्रतीत होता है। प्रार्थी द्वारा ना ही अपने कब्जे के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया है ना ही प्रार्थी के पक्ष में घोषणा के अधिकार का कोई ठोस स्वामित्व का आधार पेश किया हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया वाद सिद्ध नहीं होता। वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थीगण संख्या 3 से 14 रिकॉडेर्ड खातेदार होने से व प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर प्रथम दृष्टया अपना कब्जा व अधिकार सिद्ध नहीं कर पाने से यदि अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया जाता है तो अप्रार्थीगण को अधिक असुविधा होगी। इसी प्रकार प्रार्थीगण के कथन अनुसार खेल मैदान हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा दी जाती है तो अप्रार्थीगण खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग–उपभोग से वंचित किया जाएगा जिससे अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया गया प्रकरण में चस्पा होते है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया वाद, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु सिद्ध नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

Apoorva (signature)

(अपूर्वा परवाल) R.A.S

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट

(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

आदेश आज दिनांक 08/10/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Apoorva (signature)

(अपूर्वा परवाल) R.A.S

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट

(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

मजिस्ट्रेट (FT), जोधपुर

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

/9/21 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र 06 R 17 सपठित नियम 20 रेवेन्यू कोर्ट मैन्युअल (भाग-2) को खारिज फरमाया जाकर आदेश पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर पक्षकारान की बहस सुनी जा चुकी है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अस्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर एक से कम होकर नत्थी मूल पत्रावली हो।

08/10/21 प्रार्थी द्वारा दिनांक 05/10/21 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 20 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का पेश किया गया जिसकी सुनवाई कर पत्रावली दिनांक 08/10/21 को तलब की गई। प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3-14 अधिवक्ता उप०। पत्रावली में दिनांक 01/10/21 को निर्णय सुनाया जा चुका है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रा० पत्र O20 R3 CPC का पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली में दिनांक 01/10/21 को आदेश पारित कर आदेशिका में इन्द्राज किया गया। समयाभाव में सहवन से अन्तिम निर्णय उस दिन हस्ताक्षरित नहीं हो सका। अतः आज दिनांक को हस्ताक्षरित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नत्थी मूल पत्रावली रहे।